J.O./I.D. N0. UP 1532

न्यायालय– अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–एक, कासगंज

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 883/2026

CNR N0- UPKRO1-001989-2026

जीतू उर्फ हितेन्द्र पुत्र विजय शाक्य, निवासी ग्राम भोगपुर, थाना सिढ़पुरा, जनपद कासगंज।

बनाम

01– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता ''फौजदारी'', कासगंज।

02– वादिया मुकदमा मंजू पुत्री प्रवीन, निवासी ग्राम इतवारपुर पोस्ट जहॉगीरपुर, थाना सहावर, जनपद कासगंज।

एस0सी0 संख्या– 959/ 2025
राज्य बनाम जीतू उर्फ हितेन्द्र।
मुकदमा अपराध संख्या–350/ 2025
धारा–103 (1), 118 (1), 333, 351 (3)
भारतीय न्याय संहिता।
थाना– सहावर।
जनपद– कासगंज।

04–06–2026

01– अभियुक्त जीतू उर्फ हितेन्द्र पुत्र विजय शाक्य के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपना प्रथम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

02– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त नितान्त निर्दोष है। अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फॅसाया गया है। घटना का कोई निष्पक्ष व चश्मदीद साक्षी नहीं है, सभी साक्षीगण वादी पक्ष के हितबद्ध हैं। प्राथमिकी वादिनी व विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक की पत्नी श्रीमती नीलम को वादिनी का भाई सतेन्द्र भगा ले गया था। प्राथमिकी वादिनी में आवेदक व उसके भाई मोनू को कथित घटना में शामिल होना बताया गया है, जब कि दौरान विवेचना यह तथ्य सामने आये हैं कि

Digitally signed by DHANANJAY KUMAR MISHRA
Date: 2026.06.05 19:23:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मोनू कथित घटना में शामिल नहीं था और उसकी नामजदगी गलत है। जिससे स्वयं सिद्ध होता है कि कथित घटना की एफ0आई0आर0 किस प्रकार झूठी एवं फर्जी तैयार की गयी है। कथित घटना में आलाकत्ल वस्तु चाकू एवं फावड़ा का प्रयोग होना बताया गया, जब कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला अलीगढ़ से प्राप्त आख्या में चाकू व फावड़ा पर मानव रक्त की पुष्टि नहीं हुयी है, जिससे घटना की रिपोर्ट पूरी तरह से संदिग्ध एवं बनावटी व सोची समझी साजिश के तहत पंजीकृत कराया जाना प्रतीत होता है। वास्तविकता यह है कि आवेदक की पत्नी नीलम को वादिनी का भाई सतेन्द्र भगा ले गया था, जिसके सम्बन्ध में आवेदक ने मृतका से व वादिनी से कहासुनी की और मृतका ने अपने बेटे पर आवेदक की पत्नी को वापस कराने का दबाव बनाया था, जिससे सतेन्द्र ने आवेश में आकर अपनी मॉ / मृतका पर हमला कर दिया। मृतका को बचाने वादिनी मंजू आयी, तब सतेन्द्र द्वारा उस पर व आवेदक पर भी हमला कर दिया गया और आवेदक ने जैसे–तैसे भाग कर अपनी जान बचाई। वादिनी के भाई द्वारा मृतका मॉ की हत्या कर देने तथा आवेदक कहीं वादिनी को पत्नी के मामले में फॅसा न दे तथा वादिनी व उसका भाई जेल चले जायें, इस कारण वादिनी ने मनगढन्त साजिश से आवेदक के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। कथित घटना की संदिग्धता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि घटना के कोई निष्पक्ष व स्वतंत्र साक्षी नहीं हैं तथा जिन स्वतंत्र साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं, उनके बयान घटना को पूर्णतः संदिग्ध बना देते हैं। आवेदक गरीब व्यक्ति है तथा उसके परिवार में उसके अतिरिक्त बच्चों की देख–रेख करने वाला अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। आज तक कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा आवेदक को जेल पत्रांक– 699 यू0टी0 / 16–06–2025 से निशुल्क अधिवक्ता प्रदान कर विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनॉक 14–06–2025 से उक्त मामले में जेल में निरूद्ध है। उक्त आधारों पर जमानत प्रदत्त किये जाने की याचना की।

03– प्रकरण की वादिया को जमानत प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रेषित की गयी, जो उस पर किस्म दोयम तामीला हुई, परन्तु उसकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

04– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) ने अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकरण की प्राथमिकी वादिया मंजू पुत्री प्रवीन की ओर से आवेदक अभियुक्त को सह अभियुक्त के साथ नामजद करते हुए, दिनॉक 14–06–2025 को समय 11:59 बजे, थाना सहावर, जनपद कासगंज पर इस कथन के साथ पंजीकृत करायी गयी कि दिनॉक 14–06–2025 को समय करीब 05 बजे सुबह वह अपनी माता व नानी के साथ घर में थी कि तभी जीतू उर्फ हितेन्द्र व उसका भाई मोनू पुत्र विजय उसके घर में धारदार हथियार चाकू व फावड़ा को लेकरआये और उसकी मॉ पर आरोप लगाते हुए जीतू उर्फ हितेन्द्र बोला कि मेरी पत्नी को तुम्हारा बेटा ले आया है और यह कहकर इन लोगों ने उसकी मॉ श्रीमती चन्द्रकली पत्नी प्रवीन के ऊपर धारदार हथियार फावड़ा व चाकू लेकर जानलेवा हमला कर दिया। जब वादिया बचाने लगी तभी जीतू उर्फ हितेन्द्र ने उसके सिर पर भी धारदार हथियार फावड़े से वार कर दिया, जिसको बचाने पर वह बाल–बाल बच गयी, परन्तु उसके सिर में गम्भीर चोट आयी हैं। उन लोगों के चिल्लाने पर उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर भागने लगे। तभी जीतू उर्फ हितेन्द्र दीवार से टकरा गया और उठकर भाग गया। वादिया ने पुलिस को 108 व 112 नम्बरों पर कॉल कर मदद के लिए बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुॅच कर जॉच कर ली है तथा एम्बूलेन्स से उसकी माता को प्राथमिकी स्वास्थय केन्द्र सहावर लाया गया। जहॉ डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उक्त आधारों पर रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही किये जाने की याचना की, जिस पर यह अपराध पंजीकृत हुआ। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि वादिया पक्ष को अभियुक्त को मिथ्या दोषारोपित करने का कोई हेतुक प्राप्त नहीं है। उक्त आधारों पर अभियुक्त की आपराधिक संलिप्तता का कथन करते हुए, उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की।

05– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता '' दाण्डिक '' के तर्कों को सुना व पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

06– उभय पक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी में संकलित साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आवेदक/ अभियुक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। इस प्रकरण की प्राथमिकी में ही वादिया ने अभियुक्त के विरूद्ध

अपने घर, जो कि वादिया व उसके परिजनों के रहने हेतु प्रयुक्त हो रहा था, में वादिया व उसके परिजनों को सदोष अवरोध/ उपहति कारित करने के भय में डालने की तैयारी कर प्रवेश कर गृह अतिचार करते हए, वादिया व उसकी माता श्रीमती चन्द्रकली के ऊपर फावड़े/ धारदार हथियार द्वारा, जो कि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया गया व जिससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य थी, से प्रहार कर उन्हें गम्भीर उपहति कारित करने व जान से मारने की धमकी देते हुए, वादिया की माता श्रीमती चन्दकली को फावड़े से प्रहार कर मृत्यु कारित करके, हत्या कारित करने का आरोप लगाया है, जिसकी सम्पुष्टि में अभियोजन साक्षीगण का साक्ष्य केसडायरी में उपलब्ध है। प्राथमिकी में अंकित कथानक के अनुसार अभियुक्त पर वादिया व उसकी माता पर जान से मारने की नीयत से फावड़े से वार कर गम्भीर रूप से घायल करने का अभियोग है, जिसके परिणाम स्वरूप दौरान उपचार वादिया की माता श्रीमती चन्द्रकली की मृत्यु हो गयी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके शरीर पर 06 चोटें पाये जाने का तथ्य अंकित है व मृत्यु का कारण "Caused of Death Shock And Hemorrhage, Antemortem/ Postmortem Antemortem Injury, Nature of Weapon/ Force Hard And Blunt" अंकित है। प्रकरण की वादिया मंजू की आघात आख्या के अवलोकन से स्पष्ट है कि उसे भी अभियुक्त द्वारा कारित की गयी चोट को चिकित्सक ने निगरानी में रखते हुए उसके एक्स–रे हेतु एडवाईज किया है। केसडायरी के पर्चा नंबर– 10 के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस जमानत प्रार्थनापत्र में विचारणीय अभियुक्त को पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है व अभियुक्त ने स्वयं की निशानदेही पर इस प्रकरण की वादिया की माता की हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल फावड़ा को बरामद कराया है। अभियोजन कथानक की पुष्टि में स्वतंत्र साक्षीगण नेम सिंह, चेतन्य, विपिन कुमार, श्रीमती निर्गला आदि के बयान केसडायरी में संलग्न हैं तथा प्रकरण में बाद विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध धारा 103 (1), 118 (1), 333, 351 (3) के अधीन आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया है अर्थात विवेचना से अभियुक्त का अपराध प्रमाणित हुआ है व दिनॉक 06–02–2026 को अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त आरोपित धाराओं के अधीन आरोप भी विरचित किया जा चुका है। अभियुक्त पर हत्या जैसा संज्ञेय व अजमानतीय अपराध कारित किये जाने का आरोप है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त पर आरोपित आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए, गुण–दोष पर कोई अभिमत दिए बिना मैं आवेदक/ अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं पाता हूँ। तद्नुसार अभियुक्त जीतू उर्फ हितेन्द्र पुत्र विजय शाक्य की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 883/ 2026 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

07– एस0सी0 संख्या– 959/ 2025, राज्य बनाम जीतू उर्फ हितेन्द्र, मुकदमा अपराध संख्या– 350/2025, धारा 103 (1), 118 (1), 333, 351 (3) बी0एन0एस0, थाना सहावर, जनपद कासगंज के प्रकरण में अभियुक्त जीतू उर्फ हितेन्द्र पुत्र विजय शाक्य के द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 883/ 2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–04–06–2026

(धनन्जय कुमार मिश्रा)
प्रभारी अधिकारी,
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– एक, कासगंज।
(J.O. I.D. No. UP 1532)